राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2026 जयपुर, दिनांकः 27/01/2026

आज्ञा

आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2025–29 में संशोधन

(I) इस विभाग की आज्ञा दिनांक 29.01.2025 द्वारा आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2025–29 चार वर्ष (1 अप्रेल, 2025 से 31 मार्च, 2029 तक) के लिये जारी की गई है। नीति के बिन्दु संख्या (1) में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिसम्बर–जनवरी माह में राजस्व प्राप्ति तथा अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत प्रावधानों की समीक्षा कर उनमें संशोधन या यथावत रखने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(II) आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025–29 में किये गये उपर्युक्त प्रावधान के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए नीति के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है :–

(i) आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025–29 के बिन्दु संख्या 2.8 में वर्ष 2025–26 के लिये मदिरा दुकानों के अनुज्ञाधारियों के अनुज्ञापत्रों का वर्ष 2026–27 के लिये निर्धारित शर्तों पर नवीनीकरण की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार वर्ष 2025–26 हेतु आवंटित मदिरा दुकानों के अनुज्ञाधारियों के अनुज्ञापत्र का वर्ष 2026–27 के लिये नवीनीकरण हेतु शर्तों का निर्धारण कराया जाना है।

(ii) मदिरा उद्योग के व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक बनाये जाने हेतु इस व्यवसाय से जुड़े अनुज्ञाधारियों को उनके द्वारा किये गये पूँजी निवेश पर यथोचित लाभ प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के अनुसार मदिरा आपूर्ति प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत एक ओर जहां निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के लिये ईडीपी/ईबीपी में समुचित वृद्धि करने का अवसर प्रदान करना आवश्यक है; वहीं दूसरी ओर अवैध मदिरा के प्रवाह को रोकने के लिये मूल्यों को नियंत्रित रखना भी आवश्यक है। मदिरा/बीयर निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि/परिवर्तन से उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि के दृष्टिगत मदिरा/बीयर निर्माताओं द्वारा ईडीपी/ईबीपी में वृद्धि किये जाने की मांग व उपभोक्ताओं को मांग अनुसार उचित मूल्य पर मदिरा/बीयर आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी आपूर्तिकर्ताओं को समुचित मूल्य वृद्धि दिये जाने तथा विक्रय मूल्य को भी नियंत्रित रखने का निर्णय लिया जाना है।

(iii) ईडीपी/ईबीपी में वृद्धि से एमएसपी/एमआरपी में भी संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

(iv) मदिरा की पैकेजिंग को अधिक पर्यावरण हितैषी बनाने हेतु एसेप्टिक ब्रिक पैक में पैकेजिंग को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है।

(v) भारतीय सेना की कैंटीन में आपूर्ति की जाने वाली मदिरा हेतु आबकारी ड्यूटी में रियायत प्रदान करने हेतु नीति में संशोधन की आवश्यकता है।

(vi) इसी प्रकार प्रक्रियाओं के सरलीकरण व प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से तथा स्टेक होल्डर्स की सुविधा हेतु संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

(III) उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 29.01.2025 द्वारा जारी की गई आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025–2029 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

(1) **मदिरा की खुदरा दुकानों का बंदोबस्तः**

2.2.3 नवीनीकरण के लिए मदिरा दुकान की वर्ष 2025–26 की वार्षिक गारंटी राशि को 12.5 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2026–27 के लिये वार्षिक गारंटी राशि का निर्धारण किया जाएगा। दुकान के एक वर्ष से कम अवधि के लिये वार्षिक गारंटी राशि निर्धारित होने की स्थिति में वर्तमान वार्षिक गारंटी राशि की पूरे वर्ष के लिये गणना कर उसमें आगामी वर्ष हेतु 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

2.2.4, 2.2.5 एवं 2.2.6 नीति के बिन्दु संख्या 2.2.4, 2.2.5 एवं 2.2.6 में वर्ष 2024–25 के स्थान पर ''वर्ष 2025–26'' एवं वर्ष 2025–26 के स्थान पर ''वर्ष 2026–27'' तथा जनवरी, 2025 के स्थान पर ''जनवरी, 2026'' व दिनांक 10.02.2025 के स्थान पर दिनांक ''10.02.2026'' प्रतिस्थापित किया जाता है।

2.3.1 मदिरा दुकानों के समूह के लिए रिजर्व प्राईस के निर्धारण हेतु समूह में सम्मिलित सभी दुकानों की वर्ष 2025–26 हेतु निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इन समूहों (Clusters) में आने वाली प्रत्येक मदिरा दुकान की वर्ष 2026–27 हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राईस का योग उस मदिरा समूह (Cluster) की न्यूनतम रिजर्व प्राईस होगी।

2.3.2 समूह में सम्मिलित किसी दुकान के वर्ष 2025–26 में पूर्ण वर्ष से कम अवधि के लिए संचालित होने की स्थिति में संचालन अवधि की वार्षिक गारंटी राशि के आधार पर पूरे वर्ष के लिये वार्षिक गारंटी राशि की गणना कर उसमें 12.5 प्रतिशत वृद्धि करके न्यूनतम रिजर्व प्राईस निर्धारित की जाएगी।

2.6.1 ऑनलाईन नीलामी/ई–बिड प्रक्रिया में भाग लेने तथा नवीनीकरण हेतु आवेदन शुल्क न्यूनतम रिजर्व प्राईस के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

श्रेणी	आवेदन शुल्क (राशि रुपये)
2 करोड़ रूपये तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस	60,000
2 करोड़ रूपये से अधिक न्यूनतम रिजर्व प्राईस	1,20,000

2.8.3 नवीनीकरण की प्रक्रिया में वर्ष 2025–26 के लिये निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2026–27 की वार्षिक गारंटी राशि का निर्धारण किया जाता है।

2.12.3 मदिरा भण्डारण के लिये राशि रूपये 3.00 लाख वार्षिक फीस जमा कराने पर दुकान हेतु एक गोदाम की अनुमति दी जा सकेगी। राशि रूपये 6.00 लाख की वार्षिक फीस पर 1 अतिरिक्त गोदाम भी स्वीकृत कराया जा सकेगा। इसमें शहरी क्षेत्र में अपने विक्रय काउंटर (दुकान) की 100 मीटर परिधि में तथा ग्रामीण क्षेत्र में सुविधानुसार दुकान के निर्धारित क्षेत्र में गोदाम अनुमत किया जा सकेगा,

परन्तु दुकान के लिये स्वीकृत गोदाम की अवस्थिति पड़ोस की अन्य दुकान या समूह के क्षेत्र से न्यूनतम 3 किलोमीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं की जाएगी। शहरी क्षेत्र के दुकान का गोदाम उनके पड़ोस की दुकान या समूह के क्षेत्र से न्यूनतम 500 मीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

2.13.7 देशी मदिरा के लिये निर्धारित गारंटी राशि में से न्यूनतम 25 प्रतिशत राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड निर्मित मदिरा का उठाव करना होगा। निर्धारित मात्रा में आर.एस.जी.एस.एम. निर्मित मदिरा का उठाव नहीं करने पर कम उठाई गई मदिरा पेटे 15 रूपये प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि जमा कराने पर अन्य उत्पादकों द्वारा निर्मित मदिरा का उठाव अनुमत होगा। इस राशि की गणना शेष राशि पेटे 50 यू.पी. देशी मदिरा (पेट पात्र) की मात्रा के आधार पर की जाएगी।

2.13.8 देशी मदिरा के लिये निर्धारित गारंटी राशि में से न्यूनतम 25 प्रतिशत राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) का उठाव करना होगा। निर्धारित मात्रा में राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) का उठाव नहीं करने पर कम उठाई गई मदिरा पेटे 15 रूपये प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि जमा कराने पर राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के स्थान पर देशी मदिरा का उठाव अनुमत होगा।

2.13.10 देशी मदिरा में कम तेजी की 50 यू.पी. व 60 यू.पी. मदिरा को प्राथमिकता से उठाव एवं विक्रय का प्रयास किया जायेगा तथा इसके कम हानिकारक होने के संबंध में मदिरा उपभोक्ताओं को जागरूक किया जायेगा। यदि कम तेजी की मदिरा की आपूर्ति किसी स्थान अथवा क्षेत्र विशेष में पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तो राज्य सरकार द्वारा इसके उठाव हेतु न्यूनतम मात्रा निर्धारित किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिराः

बिन्दु संख्या 3.7.1 में ई.एन.ए. आधारित देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के थोक निर्गम मूल्य का निर्धारण किया गया है। इसके आधार पर वर्ष 2025–26 हेतु 40 यू.पी, 50 यू.पी एवं 60 यू.पी. ई.एन.ए (Extra Neutral Alcohol) आधारित देशी मदिरा के पेट पव्वों के एक कार्टन का थोक निर्गम मूल्य क्रमशः रूपये 600/–, 556/– एवं 402/– तथा 40 यू.पी. ग्लास पव्वों के कार्टन का थोक निर्गम मूल्य 662/– रूपये एवं 40 यू.पी, 50 यू.पी व 60 यू.पी. एसेप्टिक पैक के कार्टन का थोक निर्गम मूल्य क्रमशः रूपये 635/–, 558/– एवं 402/– निर्धारित है। इसी प्रकार 25 यू.पी. आरएमएल के ग्लास एवं पेट के पव्वों एवं एसेप्टिक पैक के पव्वों के कार्टन का थोक निर्गम मूल्य रूपये 777/–, 693/– एवं 756/– निर्धारित है।

3.7.2 देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा के थोक निर्गम मूल्य में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2026–27 हेतु इसका निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:–

क्र. सं	मदिरा की किस्म	पव्वों के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रुपये में)		
		ग्लास	पेट	एसेप्टिक पैक
देशी मदिरा (ईएनए)				
1.	40 यू.पी.	695	630	667
2.	50 यू.पी.	––	584	586
3.	60 यू.पी.	––	422	422
राजस्थान निर्मित मदिरा				
1.	25 यू.पी.	816	728	794

3.7.6 मदिरा उत्पादन हेतु प्रयुक्त प्रासव, पात्र एवं अन्य विविध खर्चों के आधार पर पव्वों के कार्टन के किये गये निर्गम मूल्य निर्धारण के अनुरूप ही बोतल के कार्टन तथा 5 यूपी (के.के.) के निर्गम मूल्य व एमआरपी/एमएसपी का निर्धारण संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार किया जाता है।

3.8.1 वर्ष 2026–27 हेतु देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) पर आबकारी ड्यूटी में संशोधन करते हुए आबकारी ड्यूटी एवं बेसिक लाईसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	आबकारी ड्यूटी (थोक निर्गम मूल्य का प्रतिशत)	बेसिक लाईसेंस फीस प्रति बल्क लीटर (राशि रूपयों में)
1	60 यू.पी. देशी मदिरा	120	46
2	50 यू.पी. देशी मदिरा	156	46
3	40 यू.पी. देशी मदिरा	170	46
4	5 यू.पी. देशी मदिरा (के.के.)	55	46
5	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)	190	80

3.8.4 देशी मदिरा/राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के थोक निर्गम मूल्य में वृद्धि के कारण वर्ष 2026–27 के लिये 180 एमएल निप्स का न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर मूल्य निम्नानुसार पुनः निर्धारित किया जाता है:–

(राशि रूपयों में)

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार (ईएनए निर्मित)	न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य
1.	देशी मदिरा 40 यूपी ग्लास पात्र	60	72
2.	देशी मदिरा 40 यूपी पेट पात्र	55	66
3.	देशी मदिरा 40 यूपी एसेप्टिक पैक	58	70
4.	देशी मदिरा 50 यूपी पेट पात्र	50	60

5.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) ग्लास पात्र	82	99
6.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) पेट पात्र	75	90
7.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) एसेप्टिक पैक	80	96

3.8.6 एसेप्टिक ब्रिक पैक अधिक पर्यावरण अनुकूल होने को दृष्टिगत रखते हुए देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (आरएमएल) हेतु तय मात्रा का 3 प्रतिशत एसेप्टिक ब्रिक पैक में आपूर्ति की जावेगी जिसे मांग एवं आपूर्ति के अनुसार 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा।

(3) भारत निर्मित विदेशी मदिरा/BII/BIO/Beer/Wine/RTD :–

4.1 भारत निर्मित विदेशी मदिरा व BII के लिये आबकारी ड्यूटी के लिये वर्तमान में निर्धारित स्लैब्स को अधिक तार्किक एवं समावेशी करने हेतु निम्नानुसार स्लैब्स निर्धारित करते हुए आबकारी ड्यूटी का निर्धारण किया जाता है :–

(a) IMFL/BII Duty Slab:

एक्स डिस्टिलरी मूल्य (EDP) (रुपये में)	आबकारी शुल्क
1000 तक	310/–रूपये प्रति एलपीएल + ईडीपी का 80%
1000 से 2500 तक	370/–रूपये प्रति एलपीएल + ईडीपी का 80%
2500 से अधिक	385/–रूपये प्रति एलपीएल + ईडीपी का 80%

भारतीय सेना की कैंटीन में आपूर्ति की जाने वाली IMFL/BII मदिरा हेतु आबकारी शुल्क प्रति एलपीएल उपरोक्तानुसार रखते हुए निर्गम मूल्य के प्रतिशत के रूप में Ad-valorem ईडीपी का 70 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

4.4.3 वर्ष 2026–27 के लिये ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी के निर्धारण हेतु वर्ष 2025–26 में स्वीकृत ईडीपी/ईबीपी/ईडब्ल्यूपी में 2.5 प्रतिशत तक की कमी/वृद्धि किये जाने की अनुमति होगी तथा स्वीकृत राशि की 6 माह पश्चात् समीक्षा (Review) की जावेगी।

4.5.3 राज्य से बाहर निर्यात की स्थिति में आईएमएफएल एवं बीयर पर बोटलिंग फीस में 50 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।

नीति के बिन्दु संख्या 4.6 के पश्चात निम्नानुसार प्रावधान जोड़ा जाता है:–

4.6.1 राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन हेतु होटल, रेस्टोरेंट एवं क्लब बार अनुज्ञाधारियों को माइक्रो ब्रुवरी की स्थापना एवं संचालन के प्रथम 2 माह हेतु आबकारी ड्यूटी में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।

(4) रिटेल ऑन (Retail-on) होटल/क्लब/रेस्टोरेण्ट बार :–

7.4 नीति के बिन्दु संख्या 7.4 के अन्तर्गत निर्धारित तालिका के क्रम संख्या 2 एवं 3 पर वर्णित हेरिटेज होटल एवं अन्य होटल श्रेणी के होटल बार अनुज्ञापत्रों की प्रारंभिक लाईसेंस फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

क्र. सं.	श्रेणी		प्रारंभिक/लाईसेंस फीस (रु. लाख में)		
1	2		3		
2.	हेरिटेज होटलः		10 कमरे तक	11 से 25 कमरे तक	25 से अधिक कमरे
	(i)	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू, आबू रोड़, पुष्कर, सरिस्का, भिवाड़ी के शहरीकरण योग्य क्षेत्र, रणकपुर मंदिर तथा रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान की 5 किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में स्थित एवं जैसलमेर के शहरीकरण योग्य क्षेत्र के भीतर और कुंभलगढ किले की 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित	3.00	4.00	5.00
	(ii)	अन्य संभाग/जिला मुख्यालय	2.00	3.00	4.00
	(iii)	बिंदु संख्या 2(i) और 2 (ii) में शामिल क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिये	1.00	2.00	3.00
3.	अन्य होटलः		50 कमरे तक	51 से 100 कमरे तक	100 से अधिक कमरे
	(i)	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू, आबू रोड़, पुष्कर, सरिस्का, भिवाड़ी के शहरीकरण योग्य क्षेत्र, रणकपुर मंदिर तथा रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान की 5 किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में स्थितएवं जैसलमेर के शहरीकरण योग्य क्षेत्र के भीतर और कुंभलगढ किले की 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित	8.00	10.00	15.00
	(ii)	अन्य संभाग/जिला मुख्यालय	5.00	8.00	10.00
	(iii)	बिन्दु संख्या 3(i) और 3(ii) में शामिल क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिये	4.00	5.00	6.00

7.13 ऑकेजनल लाईसेंस की लाईसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र. सं.	लाईसेंस का प्रकार	पंजीकरण फीस वार्षिक (रूपये में)	प्रतिदिन लाईसेंस फीस (रूपये में)
1.	रजिस्टर्ड कॉमर्शियल स्थान/होटल बार अनुज्ञाधारी	20000	20000
2.	निजी निवास पर	–	2500

नीति के बिन्दु संख्या 7.13 के पश्चात निम्नानुसार प्रावधान जोड़े जाते है:–

7.13.1 ऑकेजनल लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर रजिस्टर्ड कॉमर्शियल स्थान/होटल बार अनुज्ञाधारी/निजी निवास का पंजीकरण निरस्त किया जावेगा तथा रूपये 50,000/– का जुर्माना आरोपित किया जावेगा।

7.14 रेस्टोरेंट बार/होटल बार के मेन्यू कार्ड में राज्य में निर्मित हेरिटेज मदिरा को भी शामिल किया जाना आवश्यक होगा।

(IV) राजस्थान राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा गोदामों का आधुनिकीकरण करने, गोदामों में मदिरा की मांग के अनुरूप पर्याप्त स्टोरेज क्षमता विकसित करने एवं वाहनों से मदिरा की लोडिंग व अनलोडिंग कार्य को गति देने हेतु डिपो की कार्यप्रणाली में सुधार किया जावेगा।

(V) राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हेतु एनओसी/अनुज्ञापत्र जारी किये जाने हेतु प्रक्रियाओं को और अधिक सरलीकृत किया जावेगा।

(VI) राज्य में स्थित निर्माण इकाईयां जो वर्तमान में संचालन में नहीं हैं एवं निर्माण इकाई को राज्य में किसी अन्य स्थान पर स्थापित कर संचालित करना चाहती है तो निर्धारित स्थानांतरण शुल्क जमा कराने पर निर्माण लाईसेंस किसी अन्य स्थान पर संचालन हेतु स्थानांतरित किया जा सकेगा। इस हेतु नियमों में आवश्यक सरलीकरण/संशोधन किया जावेगा।

(VII) आबकारी आयुक्त को विभागीय पर्यवेक्षण, अवैध एवं हथकढ़ मदिरा की रोकथाम, मदिरा दुकानों का समय निर्धारित करने, बंदोबस्त प्रक्रिया की मॉनिटरिंग तथा रेस्टोरेंट बार में BIO को अनुमत करने के संबंध में परीक्षण कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(VIII) आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025–29 में किये गये उपर्युक्त संशोधित प्रावधानों का क्रियान्वयन एवं प्रभावी दिनांक 1 अप्रेल, 2026 से होगा, परन्तु आबकारी बंदोबस्त में लगने वाले समय एवं उक्त नीति के अन्तर्गत जारी होने वाले विभिन्न अनुज्ञापत्रों की फीस संबंधित आबकारी नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 से पूर्व राजकोष में जमा करायी जाना आवश्यक होती है। अतः तद्नुसार इसमें कार्यवाही दिनांक 1 अप्रेल, 2026 से पूर्व सम्पादित होगी।

(IX) आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025–29 में किये गये बदलाव जिसका प्रभाव राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 या आबकारी से संबंधित अन्य विधियों, अधिनियमों, नियमों तथा उप नियमों तक है, उनका संबंधित विधियों/नियमों/उप नियमों में संशोधन कर अधिसूचित किया जाकर गजट में प्रकाशन किया जायेगा।

(X) इन निर्देशों को लागू किये जाने हेतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025–29 के अन्य समस्त प्रावधान यथावत रहेंगे। आबकारी आयुक्त द्वारा आगामी बंदोबस्त यथासम्भव दिनांक 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण कर राज्य सरकार को अवगत कराया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुमार पाल गौतम)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. उप शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान।
7. आबकारी आयुक्त, उदयपुर को नीति में सम्मिलित निर्देशों को लागू किये जाने हेतु अधिनियम/नियम/आदेश में संशोधन अथवा नवीन निर्देश/आदेश/अधिसूचना जारी किया जाना अपेक्षित होने पर उन अधिसूचनाओं/आदेशों के प्रारूप शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश के साथ।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त संभागीय पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान।
10. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को नीति के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
11. समस्त जिला क्लेक्टर्स, राजस्थान।
12. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
13. समस्त अतिरिक्त आयुक्त जोन, आबकारी विभाग, राजस्थान।
14. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, राजस्थान।
15. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (आबकारी) विभाग

परिशिष्ट–1

देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा की बोतल (750 एम.एल.) का थोक निर्गम मूल्य, न्यूनतम विक्रय मूल्य तथा अधिकतम विक्रय मूल्य :–

(राशि रूपयों में)

क्र. सं.	मदिरा की किस्म	बोतल के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य	बोतल (750 एम.एल.) का न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य	बोतल (750 एम.एल.) का अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य
1.	देशी मदिरा 40 यू.पी. ग्लास पात्र	659	231	278
2.	देशी मदिरा 50 यू.पी. ग्लास पात्र	597	204	244
3.	देशी मदिरा 5 यू.पी. के.के. ग्लास पात्र	3339	605	726
4.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) ग्लास पात्र	780	319	383

नोटः– देशी मदिरा 5 यू.पी. के.के. ग्लास पात्र के पव्वों (180 एम.एल.) के कार्टन का निर्गम मूल्य 4431 रूपये, एक पव्वे का न्यूनतम खुदरा मूल्य 198 रूपये तथा अधिकतम खुदरा मूल्य 237 रूपये निर्धारित किया जाता है।